बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, 2215089, बेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 31/01/2017

अधिसूचना

संख्या-नि॰ प्रा॰/ नि॰ 1-05/ 2014 78 चूँकि बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित्त प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड, जिनका निर्वाचन देय है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न **अनुलग्नक-1** में अंकित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अत: बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) की धारा-7 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **अनुलग्नक-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों तथा निबंधक सहयोग समितियां, बिहार के पत्रांक-4992 दिनांक 01.11.2013 में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक 06.03.2017 (सोमवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-767 दिनांक 08.12.2016 एवं 819 दिनांक 27.12.2016 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ दिनांक 30.11.2016 निर्धारित की गयी है एवं तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 25.01.2017 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-26 में किये गए संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छ: पद आरक्षित होंगे।

(ii) स्वावलम्बी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या बोर्ड के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर संघ में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर बोर्ड में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी बोर्ड के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक **प्रपत्र-ई॰ 1** में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना **दिनांक 07.02.2017 (मंगलवार)** को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र-ई॰ 6** में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र-ई॰ 18** में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को फैक्स **(0612-2231562, 2215089)** अथवा ई-मेल **(bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-
(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 78 पटना/ दिनांक 31/01/2017

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० 31.1.17

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 78 पटना/ दिनांक 31/01/2017

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 78 पटना/ दिनांक 31/01/2017

प्रतिलिपि: संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित समिति की उपविधि दिनांक 06.02.2017 तक निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियां के आधार पर जिन-जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 78 पटना/ दिनांक 31/01/2017

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 78 पटना/ दिनांक 31/01/2017

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 78 पटना/ दिनांक 31/01/2017

प्रतिलिपि: प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3 एवं प्रशाखा-1 के सभी सहायक/ श्रीमती अलका सिन्हा, सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 30.1.17

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अनुलग्नक-1

निर्वाचन देय समितियों की सूची

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्वाबलम्बी समितियों का नाम
1	पटना	मसौढ़ी	महाबीर कृषक सेवा स्वाबलम्बी सह॰ समिति लि॰
2	पटना	धनरूआ	लक्ष्मी कृषक सेवा स्वाबलम्बी सह॰ समिति लि॰
3	पटना	पटना सदर	सर्वोदय साख स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि॰
4	अरवल	अरवल	ज्योति स्वयंसिद्धा महिला विकास स्वाबलम्बी स॰ स॰ लि॰
5	मुजफ्फरपुर	सकरा	जय माँ अम्बे स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि॰
6	रोहतास	डिहरी	सोनभद्र गृह निर्माण स्वाबलम्बी सहयोग समिति लि॰
7	वैशाली	हाजीपुर	जय रामजी की साख एवं बचत स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि॰
8	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	रामगढ़वा	जय भारत कृषक सेवा स्वाबलम्बी स॰ स॰ लि॰
9	जमुई	अलीगंज	कैयार कृषि उत्पादन स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि0
10	मधुबनी	बेनीपट्टी	बेहरा कृषक सेवा स्वाबलम्बी स॰ स॰ लि॰
11	दरभंगा	दरभंगा	मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत एवं साख स्वाबलम्बी स॰ स॰ लि॰
12	दरभंगा	सिंहवाड़ा	ग्रामीण धन संचय स्वाबलम्बी स॰ स॰ लि॰
13	समस्तीपुर	दलसिंहसराय	मदर टेरेसा स्वयंसिद्ध महिला विकास स्वाबलम्बी स॰ स॰ लि॰

अनुलग्नक-2

अनुलग्नक-1 में उल्लिखित स्वाबलम्बी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	07.02.2017 (मंगलवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	22.02.2017 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	23.02.2017 (बृहस्पतिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	25.02.2017 (शनीवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	06.03.2017 (सोमवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	06.03.2017 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)